# राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकःप–13 ( ) सा.सु./ सान्याअवि/अ.अ.यो/17–18/ 12169 जयपुर,दिनांक : 20-07-2017

## अन्त्येष्टि अनुदान योजना के दिशा निर्देश 2017

**1. प्रस्तावनाः**

पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवनयापन की आदर्श परिकल्पना की गई है, तथा इसी आदर्श परिकल्पना में निहित है कि मृतक के द्वारा जीवनपर्यन्त जिन धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया ,उन्हीं परंपराओं एवं आस्था के अनुसार, विधि–विधान पूर्वक उसका ससम्मान अंतिम संस्कार सम्पन्न हो।

सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, मित्रों इत्यादि के द्वारा यथोचित धार्मिक विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार सम्पादित कर दिया जाता है परन्तु कभी जब लावारिस अथवा निराश्रित हालात में मृत्यु हो जाती है, तब उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसे लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का भी सम्मान एवं विधिविधान पूर्वक अंतिम संस्कार हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा बजट भाषण 2017–18 मे राज्य मे एक नवीन योजना **अन्त्येष्टि अनुदान योजना** आरम्भ करने की घोषणा की गयी है।

**2. उद्देश्यः–**

अन्त्येष्टि अनुदान योजना में राज्य के क्षेत्राधिकार में किसी भी उम्र/जाति/वर्ग के लावारिस अथवा निराश्रित व्यक्ति की साधारण/दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (दाह संस्कार) करने वाली स्वयं सेवी संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी।

**3. क्षेत्राधिकारः–**

इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान में रहेगा।

**4. योजना हेतु लक्षित वर्ग की पात्रताः–**

किसी भी उम्र/जाति/वर्ग के लावारिस अथवा निराश्रित व्यक्ति ,जिसकी राजस्थान राज्य अथवा राज्य के बाहर सामान्य/दुर्घटना में मृत्यु हुई हो परंतु जिसका दाह संस्कार/अंतिम संस्कार राजस्थान राज्य में करवाया गया हो, के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी।

विशेषः–लावारिस मृतक व्यक्ति का धर्म,पुलिस तहरीर में अंकित विवरण के आधार पर ही अंतिम रूप से माना जाकर,मृतक का अंतिम संस्कार उसके अनुसार ही किया जायेगा।

**5. देय लाभः–**

योजना अन्तर्गत लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया (दाह संस्कार) करवाने वाली स्वयं सेवी संस्था को दाह संस्कार हेतु आवश्यक सामान व व्यवस्था करने हेतु देय राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र का भुगतान किया जावेगा।

## 6. योजना क्रियान्वन की प्रकिया:–

### (अ) जिले मे जिला स्तरीय स्वयं सेवी संस्थाओ का चयन एवं पैनल गठन:–

योजना के सुचारू कियान्वयन हेतु जिला में जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजना के अन्तर्गत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest) जारी करेगा। जिले मे उपयुक्त आवश्यकतानुसार संस्थाओं का चयन एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमे निम्नानुसार सदस्य होगें–

i. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि (अतिरिक्त जिला कलक्टर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद)।
ii. पुलिस अधीक्षक या प्रतिनिधि।
iii. कोषाधिकारी या प्रतिनिधि (लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी कोषालय)
iv. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रतिनिधि।
v. उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग **(सदस्य सचिव)**।

स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रत्येक जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं का पैनल तैयार किया जायेगा। संस्था की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

i. सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो।
ii. संस्था का निराश्रित व बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र मे कार्यरत हो अथवा पूर्व का कार्य अनुभव हो।
iii. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो।
iv. संस्था को पूर्व मे किसी भी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया हो, या ब्लैक लिस्टेड नही हो।
v. संस्था अपने स्तर पर, लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का पूर्ण विधिविधान से, तत्काल अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करने एवं इस योजनान्तर्गत निर्धारित राशि का पुनर्भरण, राज्य सरकार से प्राप्त करने पर सहमत हो।

समिति के द्वारा प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार संस्थाओं का एक पैनल तैयार किया जावेगा, जो इस योजनान्तर्गत अपने आवंटित जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु अधिकृत होंगे। जिले में योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित संस्थाओं के मध्य क्षेत्राधिकार का विभाजन स्क्रीनिंग समिति द्वारा विवेकानुसार किया जायेगा।

जिले के किसी दूर दराज के क्षेत्र मे अगर किसी लावारिस व निराश्रित की मृत्यु होती है, उस क्षेत्र में संस्था का मनोनीत प्रतिनिधि अन्त्येष्टि करवा कर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ–अ) में स्वयं सेवी संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

संस्थाओं का यह पैनल एक वर्ष के लिये मान्य होगा तथा इसके पश्चात समिति की बैठक में इस पैनल की समीक्षा कर,अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को संस्था का चयनित सूची से नाम हटाने का अधिकार भी होगा एवं उस संस्था के स्थान पर पैनल में नयी संस्था का चयन करने का अधिकार होगा।

**(ब) अनुदान प्राप्त करने की प्रकिया:–**

अन्त्येष्टि अनुदान के लिये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में स्वयं सेवी संस्था द्वारा जिस क्षेत्र मे दाह संस्कार किया गया है, उस क्षेत्र के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय मे निम्न दस्तावेजों सहित करेगी–

I. संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रस्ताव (परिशिष्ठ–अ)।
II. मृतक व्यक्ति की फोटो ।
III. नाम व पूर्ण पता (उपलब्ध हो तो)।
IV. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (उपलब्ध हो तो)।
V. लावारिस होने की अवस्था में सम्बंधित पुलिस थाना/पुलिस चौकी के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
VI. निराश्रित होने की अवस्था में ग्राम सचिव/सरपंच/पार्षद/नगरपालिका,नगर परिषद,नगर निगम के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
VII. दाह संस्कार करवाने वाली संस्था के पदाधिकारी का शपथ पत्र एवं लावारिस अथवा निराश्रित होने का प्रमाण पत्र।

**(स) अनुदान योजना का प्रचार प्रसार:–**

उक्त योजना के सुचारू प्रचार–प्रसार के लिए योजना की 25 प्रतिशत राशि आरक्षित रखी जायेगी।

विभाग के द्वारा योजना के सम्बंध में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत योजना के दिशा–निर्देश एवं चयनित संस्थाओं के नाम एवं पते की सूचना विभाग के द्वारा प्रत्येक राजकीय अस्पताल, पुलिस स्टेशन, नगर निगमों / नगर पालिकाओं / नगर परिषदों / ग्राम पंचायतों /वृद्धाश्रमों / महिला सदनों को उपलब्ध कराई जायेगी।

**(द) अनुदान राशि का प्रवाह:–**

उक्त योजना के राज्य भर में क्रियान्वयन हेतु जिला अधिकारी को आवश्यकतानुसार बजट आवंटन किया जावेगा एवं सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त योजना के प्रकरणों मे यथा शीघ्र सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।

इस योजना के अन्तर्गत दाह संस्कार कराने वाली स्वयं सेवी संस्था को देय अनुदान पुनर्भरण के रूप में ही देय होगा। दाह संस्कार हेतु राशि की तत्काल व्यवस्था पेनल में सूचीबद्व स्वयं सेवी संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर से की जावेगी, तथा अंतिम संस्कार के संपादन के पश्चात इसकी मांग निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ–ब ) में की जायेगी।

प्रति प्रकरण राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र का भुगतान विभाग के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय द्वारा पुनर्भरण के रूप किया जावेगा। संस्था को निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि इस निमित्त देय नही होगी।

**(य) अनुदान जारी करने की प्रकिया:–**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के जिला अधिकारी द्वारा जिला स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्था से नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रत्येक प्रकरण में राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र का भुगतान कोषालय के माध्यम से स्वयं सेवी संस्था के खाते में किया जावेगा। नगद भुगतान देय नही होगा।

**7.विशेष:–**

i. आयुक्त /निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर इस योजना के पूर्णरूपेण प्रभारी होंगे, **अन्त्येष्टि अनुदान योजना** के बजट नियंत्रण पदाधिकारी होंगे,

ii. आयुक्त /निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को इस योजना के नियमो में शिथिलता, मार्गदर्शन, अनुदेश एव आदेश देने का अधिकार होगा।

iii. इस योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर होंगे।

iv. आयुक्त /निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी जिलों मे इस योजना के कामकाज का आवश्यकतानुसार निरीक्षण/समीक्षा करेंगे।

v. जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का होगा।

vi. जिलों मे जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजना का निरीक्षण/समीक्षा करेंगे एवं आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर सकेंगे।

**उक्त योजना के दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161700676 दिनांक 26.05.2017 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये जाते है।**

(जे.सी.महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक:प–13 ( ) सा.सु./ सान्याअवि/अ.अ.यो/17–18/ 42170–308 जयपुर,दिनांक 20–07–2017

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
6. जिला कलक्टर जिला.....(समस्त)।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद.....(समस्त)।
8. कोषाधिकारी कोष कार्यालय .....(समस्त)।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ..... (समस्त)।
10. आदेश पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

## राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

परिशिष्ठ–'अ'

मृतक का फोटो

### अन्त्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन पत्र

1. नाम मृतक.....( हो तो )
2. मृतक के माता/पिता का नाम.....( हो तो )
3. पता.....( हो तो )
4. नागरिकता.....5.हिन्दु/मुसलमान/इसाई/अन्य.....
5. मृत्यु के स्थान का नाम.....
6. मृत्यु की दिनांक.....
7. अन्त्येष्टि क्रिया का स्थान .....
8. अन्त्येष्टि क्रिया करने की दिनांक .....
9. लावारिस या निराश्रित(अंकित करे) .....

**संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (मृतक का नाम).....मृतक के पिता का नाम .....निवासी .....(उक्त विवरण हो तो) जिसका विवरण उपर अंकित किया हैं यह लावारिस/निराश्रित (जो है उस पर सही का चिन्ह लगावे) की श्रेणी मे आता है जिसकी मृत्यु दिनांक .....को स्थान .....पर होने पर संस्था ... ..... के स्वयं के खर्चे पर दिनांक .....को.....(दाह संस्कार स्थल) पर दाह संस्कार करवाया गया है। उपरोक्त विवरण मेरी राय में सत्य व सही है।

हस्ताक्षर व मोहर

**(नाम व पद नाम)**

**उक्त प्रमाण पत्र (ग्राम सचिव/सरपंच/पार्षद/नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम का अधिषासी अधिकारी/थाना पुलिस अधिकारी ) द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।**

### अग्रेषण–पत्र

उपयुक्तानुसार प्रकरण राशि 5000/– रूपये के पुनर्भरण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय सान्याअवि..... में भिजवाने हेतु अग्रेषित है।

संलग्नः–दस्तावेज।

**संस्था का प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

**विशेषः– मृतक की कोई जानकारी नही होने पर नाम के स्थान पर अज्ञात अंकित किया जावे।**

**परिशिष्ठ–'ब'**

**संस्था का नाम**.....

**कमांक** **दिनांक**

**अन्त्येष्टि अनुदान योजना मे राशि पुनर्भरण हेतु मांग पत्र**

उपनिदेशक / सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

.....

विषयः– अन्त्येष्टि क्रिया अनुदान हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था को आपके पत्रांक ..... .....दिनांक.....के द्वारा जिले मे अन्त्येष्टि क्रिया हेतु चयनित किया गया है। जिसकी पालना मे हमारी संस्था के द्वारा माह .....मे निम्न प्रकरणो में अन्त्येष्टि करवा कर मांग राशि का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

| क.सं. | संस्था के प्रतिनिधि का नाम जिसके द्वारा दाह संस्कार करवाया गया | मृतक का नाम | मृत्यु दिनांक | अन्त्येष्टि दिनांक व स्थान | मांग राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 5000 |
| 2 | | | | | 5000 |
| | | | | योग | |

अक्षरे रूपये .....

उक्त प्रकरण की सत्यता की जांच हमारे स्तर पर कर ली गयी है। उक्त व्यक्ति लावारिस व निराश्रित की श्रेणी मे आता है। अतः इनके अनुदान स्वीकृति कराने की अभिषंशा की जाती है।

संलग्नः– संस्था के प्रतिनिधि से प्राप्त प्रस्ताव व मूल दस्तावेज।

अध्यक्ष / सचिव
(हस्ताक्षर व मोहर)